संख्या-101/1140/84-1-2013/931(बजट)/13

प्रेषक,

अखिलेश त्रिवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर,2013

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2855/एस.सी.डी.आर.सी./यू0पी0/व0आ0/2013-14 दिनांक 30.10.2013 एवं पत्र संख्या-3064/एस. सी.डी. आर.सी./यू0पी0/व0आ0/ 2014-15 दिनांक 08.11.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट में उपलब्ध धनराशि उपयोग कराने के पश्चात अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर धनराशि के पुनर्विनियोग हेतु समुचित प्रस्ताव को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अखिलेश त्रिवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in